

सं०-प्रशा/हि०क०/१०९/न.रा.का.स
कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प०क०)
चंडीगढ़- 160009
दिनांक- 27/06/2022

सेवा में

प्रभारी अधिकारी

1. कार्यालय लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियन्ता (आर&डी) चंडीगढ़
2. कार्यालय लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियन्ता (एन.ए.एम.एस) अमृतसर
3. कार्यालय लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियन्ता, बसौली
4. कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, सी ओ डी, दिल्ली छावनी
5. कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, (सी), दिल्ली छावनी
6. कार्यालय लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियन्ता, (नई दिल्ली) दिल्ली छावनी
7. कार्यालय लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियन्ता, (वायु सेना) गुडगाँव
8. कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी, (सी), पठानकोट
9. कार्यालय लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियन्ता, जतोग

विषय- राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करना।

रक्षा लेखा विभाग (र.ले.वि) मुख्यालय के दिनांक-06-05-2022 के पत्र सं०-0746/हिं.क./रा.भा./ अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार यदि केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्यरत 80 प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तो उस कार्यालय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कराना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपके कार्यालय से संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र एवं सिफारिश पत्र में विधिवत रूप से भरकर ई-मेल द्वारा अतिशीघ्र प्रेषित करें ताकि मुख्यालय कार्यालय को आगे की कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा सके।

संलग्न- यथोपरि

- ५० -

समूह अधिकारी (हिंदी)

प्रतिलिपि-

1. सूचना प्रौद्योगिकी एवं तंत्र-स्थानीय

कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2. रक्षा लेखा विभाग(र.ले.वि)मुख्यालय - दिल्ली छावनी

उपरोक्त के संबंध में सूचनार्थ।


समूह अधिकारी (हिंदी)

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाने से संबंधित प्रोफार्मा

(क)	कार्यालय का नाम और पूरा पता (हिंदी और अंग्रेजी में)				
(ख)	कार्यालय से संबंधित कमान मुख्यालय का नाम (हिंदी और अंग्रेजी में)				
(ग)	कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या (ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)	राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल संख्या	
(घ)	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रवीणता प्राप्त अधि./कर्मि. की संख्या		कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधि./कर्म. की संख्या	
		अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी
(ङ)	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिशत	अधिकारी		कर्मचारी	

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

(द्विभाषी रबड़ की मुहर के साथ)

नोट : आँकड़े देने के लिए अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) का ही प्रयोग किया जाए।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाने के संबंध में कार्यालय प्रमुख की सिफारिश

मैं..... (नाम एवं पदनाम)

(कार्यालय का नाम) के कार्यालय प्रमुख की हैसियत से दिए गए आँकड़ों के आधार पर (कार्यालय का नाम) को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाने की सिफारिश करता/करती हूँ।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

दिनांक

(द्विभाषी रबड़ मुहर के साथ)

नोट : आँकड़े देने के लिए अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) का ही प्रयोग किया जाए।